



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र सं० :- 92 / पी० एम० ए० वाई० सेल / 2020

दिनांक :- 05/06/2020

प्रभारी कम्प्यूटर

कृपया उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 04.06.2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के शासनादेश संख्या 2379/आठ-1-79 बैठक/2017 दिनांक 24.12.2018 के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निजी विकासकर्ताओं के द्वारा विकसित क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास-सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत विकसित योजनाएँ निजी विकासकर्ता मै० महालक्ष्मी बिल्डटैक लि० ("MIGSUN ATHARVA"/ खसरा संख्या 31 मि०) ग्राम मोरटा, जिला गाजियाबाद योजना संख्या- 894 सम्पत्ति कोड 41डी० तथा मै० ए०टी०एस० ग्रेंड रियलटर्स प्रा० लि० (खसरा संख्या 339, 340, 349 व 350) ग्राम रसूलपुर सिकरौड जिला- गाजियाबाद योजना संख्या- 895 सम्पत्ति कोड 41डी० में 1035 दुर्बल आय वर्ग (ई०डब्लू०एस०) भवनों की आन लाईन पर्जीकरण हेतु दिनांक 11.06.2020 से 10.07.2020 तक योजना प्रकाशित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में योजना सम्बन्धी ब्रोशर/नियम व शर्तों की प्रति (सलग्न) कम्प्यूटर पर लोड कराने हेतु आपको प्रेषित की जा रही है। सलग्नक: ब्रोशर /नियम व शर्तों की प्रति

595/क०
05/06/2020



(सी०पी० त्रिपाठी)
अपर सचिव